आदेश
कार्रवाई
टिप्पणी, तारीख
3

/2

उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–19/2023–24

सिरिल टुडू

बनाम्

प्रमोद हेम्ब्रम

—: आदेश :—

दिनांक 28/8/23

प्रविष्टि बिन्दु पर अपीलकर्त्तागण के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0–09/2021–22 के आदेश दिनांक–03.02.2023 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–बाघझखरा नं0–82, जमाबंदी नं0–17, दाग नं0–168 रकवा 00–00–19 धुर जमीन गत जमाबंदी रैयत के द्वारा अपने जीवनकाल में अपीलकर्त्ता के पूर्वज को मकान बनाने के लिए वर्ष 1934 ई0 में ही दिया था एवं वर्ष 1934 ई0 से ही अपीलकर्त्ता के पूर्वज एवं इसके बाद अपीलकर्त्ता उक्त जमीन पर मकान बना कर निवास करते आ रहे हैं एवं उक्त निर्मित मकान में वर्तमान में अपीलकर्त्ता निवास कर रहे है और चूँकि उक्त जमीन का प्रकृति बदल दी गयी है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने अपील आवेदन को प्रविष्ट करने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता का दाखिल आवेदन काल वाधित है। अतएव अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन प्रविष्टि बिन्दु पर खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त 28/08/23
गोड्डा।

उपायुक्त 28/8/23
गोड्डा।

सं0 पत्रां0-151
12.09.23

Seen
27-09-2023

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2024.06.27 16:36:17 +05:30
Location: 192.168.1.12